खण्ड–23, अंक–01
बुधवार, 08 श्रावण, शक संवत्, 1930
(30 जुलाई, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

पुस्तकालय
1052

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)

(द्वितीय सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 23 में 01 अंक है)

उत्तराखण्ड विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

उत्तराखण्ड विधान सभा पुस्तकालय बुक नं० 1052 देहरादून

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
कतिपय विषयों को विपक्ष द्वारा नियम–310 में उठाये जाने की मांग	1–6
प्रश्नोत्तर	6–10
उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (अधिनियमित होने की घोषणा)	11
उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	11
जनपद देहरादून शहर के बीच चन्दरनगर स्थित चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) को शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	11
जनपद देहरादून के डांडीपुर क्षेत्र (गुरूद्वारा, मस्जिद के नजदीक एवं आनन्द चौक के कुछ क्षेत्र) में विगत कुछ वर्षों से पानी की समस्या के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	11–12
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ...	12
नियम–310 की सूचनाएँ नियम–58 में परिवर्तित	12–14
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	14–15
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	16
सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	16
राष्ट्रगान	17

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डेय
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन मेहरा
8—सुश्री कैरन मेयर
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री केदार सिंह
11—श्री केदार सिंह फोनिया
12—श्री खजान दास
13—श्री खड़क सिंह बोहरा
14—श्री गगन सिंह
15—श्री गणेश जोशी
16—श्री गोपाल सिंह
17—श्री गोपाल सिंह रावत
18—श्री गोविन्द लाल
19—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21—श्री चन्दन राम दास
22—श्री जोगा राम टम्टा
23—श्री जोत सिंह गुनसोला
24—हाजी तस्लीम अहमद
25—श्री तिलक राज बेहड़
26—श्री दिनेश अग्रवाल
27—श्री दिवाकर भट्ट
28—श्री दिवान सिंह
29—श्री नारायण पाल
30—काजी मौ0 निजामुद्दीन
31—श्री प्रकाश पन्त
32—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मनोज तिवारी
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—श्री मुन्ना सिंह चौहान
47—श्री यशपाल आर्य
48—श्री यशपाल बेनाम
49—चौ0 यशवीर सिंह
50—श्री रणजीत रावत
51—डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
52—श्री राजकुमार
53—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
55—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
56—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57—श्रीमती वीना महराना
58—श्री शहजाद
59—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61—श्री सुरेन्द्र राकेश
62—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63—श्री सुरेश चन्द जैन
64—डा0 हरक सिंह रावत
65—श्री हरभजन सिंह चीमा
66—श्री हरिदास
67—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही राष्ट्रगीत वन्देमातरम् से प्रारम्भ की जाती है–

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम।।

मातरम्। वन्देमातरम्

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

कतिपय विषयों को विपक्ष द्वारा नियम–310 में उठाये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(विपक्ष के अधिकाँश माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम–310 के अन्तर्गत हमारी सूचना है।..

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्यण 'वेल' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत 1–श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 2–श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री किशोर उपाध्याय 3–श्री केदार सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल, श्री करन मेहरा 4–डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 5–श्री किशोर उपाध्याय, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री प्रीतम सिंह, 6–श्री बलवीर सिंह नेगी, 7–मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, 8–श्री नारायण पाल की कुल 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिसमें से 1–श्री दिनेश अग्रवाल तथा मौ0 शहजाद एवं अन्य, 2–श्री जोत सिंह गुनसोला एवं अन्य, 3–श्री केदार सिंह रावत एवं अन्य, 4–डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य की सूचनाएं कानून व्यवस्थाओं से सम्बन्धित हैं। सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं, मैं इनको प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा।

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह इस प्रदेश की महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, मेरा अनुरोध है कि इनको नियम–310 के अन्तर्गत सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं प्रश्नकाल के बाद इनको सुन लूँगा। मात्र 3 प्रश्न हैं, जो कि कानून व्यवस्था से सम्बन्धित हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या नियम–310 में सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले बता चुका हूँ कि दिनेश अग्रवाल एवं अन्य, श्री जोत सिंह गुनसोला एवं अन्य, श्री केदार सिंह रावत एवं अन्य तथा डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य की सूचनाओं को मैं प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा।

मेरा माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना आसन ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर नहीं जाते, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मानवता की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, जब इंसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे विकास का क्या करना है।

(माननीय सदस्य श्री नारायण पाल ने 'वेल' में खड़े होकर समाचार पत्र की प्रतियाँ लहराई।)

श्री अध्यक्ष–

इन्हें मेरे पास भिजवा दीजिये।

माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्यगण पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर नहीं जाते किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान) मैं बता चुका हूँ कि मैं इसे प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा। (व्यवधान) मैं इसे ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर जीवन ही सुरक्षित नहीं है तो विकास हम किसके लिए करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम किस के लिए विकास करना चाहते हैं, जब जीवन ही सुरक्षित नहीं है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे सुन लूँगा। माननीय यशपाल जी, मैंने निवेदन किया है प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज लगे हुए हैं। (व्यवधान) मैंने कह दिया मैं इसे प्रश्नकाल के बाद सुन लूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार की नीयत साफ है तो सी0बी0आई0 जाँच स्वीकार कर ले सरकार और आपका निर्देश हो जाये पीठ से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पीठ से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रदेश में कोई घटना घटित हुई है तो असली दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, और इसके लिए निष्पक्ष जाँच होनी जरूरी है। प्रदेश की पुलिस पर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वह सरकार के दबाव में लीपापोती करती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं जाते किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रश्नकाल के बाद ग्राह्यता पर सुन लूँगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, प्रकरण को लगातार दो महीने से दबाया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे प्रश्नकाल के बाद ग्राह्यता पर सुन लूँगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, जिन माननीय सदस्यों ने प्रश्न लगाये हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आ जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी बात कहने का समय नहीं मिलेगा। जो माननीय सदस्य 'वेल' से बोल रहे हैं उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक वे अपने स्थान पर नहीं जायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों द्वारा जो विषय उठाये जा रहे हैं सरकार उस पर अपना पक्ष रखने को तैयार है। आपने नियमों के दायरे के अन्तर्गत विनिश्चय दिया कि आप नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना को ग्राह्यता पर सुन लेंगे। (घोर व्यवधान) उसके बाद भी जान बूझकर माननीय सदस्य सदन में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह जवाब देने को तैयार है, लेकिन आपके विनिश्चय के बाद भी इस तरह का व्यवधान हो रहा है तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि यह सदन को न चलने दिये जाने की कोशिश की जा रही है। (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के समस्त सदस्य तथा बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में आकर पूर्ववत् अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य 'वेल' में अपनी बात को कह रहे हैं, उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक कि माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मैंने अवगत करा दिया है कि प्रश्नकाल के बाद इन सब बातों पर विचार कर लिया जायेगा, सुन लिया जायेगा। प्रश्नकाल में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन प्रश्नों पर माननीय सदस्यों को अपनी बात को रखने का और कोई समय नहीं मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, इनका जवाब आना आवश्यक है। मैं पुनः कह रहा हूँ कि प्रश्नकाल के बाद हम आपकी बातों को सुन लेंगे।

('वेल' में खड़े कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने स्थान पर जाकर आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 11.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन अपराह्न 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

देहरादून में बढ़ते वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या का निराकरण

*1–श्री गणेश जोशी–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में वाहनों की संख्या बढ़ने से प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदूषण की समस्या के निराकरण हेतु सी0एन0जी0 युक्त वाहन चलाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वनों के संरक्षण हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को जिम्मेदारी सौंपे जाने के सम्बन्ध में

*2—श्री प्रीतम सिंह—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

वनों की रक्षा एवं गैर कानूनी कटान रोकने के उद्देश्य को लेकर महिलाओं द्वारा उत्तराखण्ड में विशेष रूप से कोई महिला स्वयं सहायता समूह गठित नहीं किया गया है। फिर भी स्थानीय रूप से बने अनौपचारिक महिला समूहों को वनों की रक्षा हेतु जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

स्थानीय रूप से बने अनौपचारिक महिला समूहों, महिला मंगल दल आदि को विशेष रूप से वन अग्नि से वनों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त वृक्षारोपणों की सुरक्षा, अनुरक्षण एवं इस हेतु पौधशालाओं के विकास का कार्य भी महिला समूहों को दिया गया है।

क्रम सं0— 2 के क्रम में लागू नहीं।

देहरादून शहर में सड़कों के चौड़ीकरण हेतु काटे गये एवं उनके सापेक्ष रोपे गये वृक्षों के सम्बन्ध में

*3—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर की सड़कों के चौड़ीकरण हेतु कुल कितने वृक्ष काटे गये और काटे गये इन वृक्षों के सापेक्ष चार गुना वृक्ष देहरादून शहर के किस स्थान पर लगाये गये और कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत—

देहरादून शहर की सड़कों के चौड़ीकरण हेतु देहरादून एवं मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रजाति के कुल 1667 वृक्ष काटे गये।

काटे गये वृक्षों के सापेक्ष चार गुना पौधारोपण का वर्तमान में कोई प्राविधान नहीं है। फिर भी देहरादून शहर के विभिन्न स्थलों में वर्ष 2001—02 से 2008—09 तक कुल 22,114 पौधों का रोपण किया गया है।

उपरोक्त क्रमांक 1 के क्रम में लागू नहीं है।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट के ग्राम तल्ली महाली में बाघ द्वारा घायल कु0 जानकी के परिवार को मुआवजे का भुगतान

1–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विकास खण्ड के तल्ली महाली नामक स्थान पर दिनांक 23 जून, 2002 को बाघ द्वारा 4 वर्षीय कु0 जानकी, पुत्री श्री दयाल राम को घायल किया गया था ?

यदि हाँ, तो क्या उक्त परिवार को मुआवजा दिया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

श्रीमती भागुली देवी, पत्नी श्री दयाल राम, ग्राम तल्ली महाली, पो0 छतेना, द्वाराहाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा उनकी पुत्री कु0 जानकी को बाघ द्वारा दिनांक 7–6–2002 को घायल करने की सूचना दी गई।

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ शासनादेशानुसार चिकित्साधिकारी का मेडिकल प्रमाण–पत्र व राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न न होने के कारण श्रीमती भागुली देवी का प्रार्थना–पत्र उक्त औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु रेंज अधिकारी के माध्यम से आवेदन को लौटा दिया गया था। आवश्यक औपचारिकता पूर्ण किये जाने के उपरान्त तत्सम्बन्धी आवेदन वर्तमान तक प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। जिस कारण उनको मुआवजे की धनराशि नहीं दी जा सकी है।

उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 में क्रम में लागू नहीं।

उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 में क्रम में लागू नहीं।

भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के पास गाँवों की फसल एवं जानमाल की सुरक्षा हेतु की गयी कार्यवाही

2–श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 22–12–07, जो भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजाजी नेशनल पार्क के पास गाँव, आबादी एवं फसलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में था तथा जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 23–12–07 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को भी प्रेषित की गयी थी, प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

क्या सरकार उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

जी हाँ।

राजाजी राष्ट्रीय पार्क में हाथियों द्वारा जानमाल की क्षति के मामले सूचित किये जाने पर पीड़ित परिवारों को नियमानुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2007–08 में निम्न प्रकार अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया :–

3 (तीन) मृतक केस (शहीदवालाग्रान्ट, बंजारेवाला ग्रान्ट व मोहन्ड)	3.00 लाख
फसल क्षति पर मुआवजे का भुगतान (नोकराग्रान्ट, बुग्गावाला, हरिपुर टौंगिया, वादीवाला, लालवाला, मजबता मजाहिदपुर सतीवाला व कुड़कावाला)	0.50 लाख

इसके साथ–साथ राजाजी राष्ट्रीय पार्क की संवेदनशील दक्षिणी सीमा पर रानीपुर से रावली तक लगभग 5 कि0मी0 लम्बी दीवार पूर्व से ही निर्मित है, जो कि अत्यन्त प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लागू नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्या समाधान हेतु की गयी कार्यवाही एवं प्रगति का विवरण

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल की परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम लि0 की बस सेवाओं के संचालन के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–219/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 13–11–2007, पत्रांक संख्या–323/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 20–11–2007 एवं पत्रांक संख्या–674/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 10–03–2008 कब–कब प्राप्त हुए हैं और इन पत्रों में वर्णित मोटर मार्गों पर बस सेवायें संचालित करवाने की दिशा में अब तक की कार्यवाही एवं हुई प्रगति का विवरण क्या है?

क्या यह सत्य है कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के द्वारा उक्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर भगत–

बस सेवाओं के संचालन विषयक मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्रांक–219/विधायक/07/परिवहन/2007–08, दिनांक 13–11–2007 एवं संख्या–674/विधायक/07/परिवहन/2007–2008, दिनांक 10–03–2008 क्रमशः 19–11–2007 एवं 18–03–2008 को प्राप्त हुए हैं।

पत्रांक–संख्या–323/विधायक/07–परिवहन/2007–08, दिनांक 20–11–07 उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून को प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्राप्त दोनों पत्र देहरादून–हरिद्वार–कोटद्वार–सतपुली–बैजरों–बीरोंखाल बस संचालन किये जाने हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 27–11–2007 एवं 25–03–2008 द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, देहरादून से आख्या माँगी गयी, जिसका उत्तर दिनांक 24–07–2008 को प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार देहरादून से बीरोंखाल हेतु वाया ऋषिकेश–देवप्रयाग–पौड़ी–बैजरों–बीरोंखाल हेतु एक बस सेवा संचालित है। इसका लोड फैक्टर 90 प्रतिशत है। देहरादून से हरिद्वार–नजीबाबाद–कोटद्वार–गुमखाल–सेराघाट–बैजरों–बीरोंखाल पर संचालन हेतु पर्वतीय बसों की अनुपलब्धता के कारण इस मार्ग पर संप्रति बस संचालन कराया जाना संभव नहीं है।

जी नहीं। प्रश्नगत पत्र के सम्बन्ध में मण्डलीय प्रबन्धक, संचालन, देहरादून की आख्या दिनांक 24–07–2008 को प्राप्त होने के उपरान्त मा0 सदस्य को उप महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या–1995 नि0मु0/संचालन–नये मार्ग शासन/08, दिनांक 25–07–2008 द्वारा प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के कई माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 मई, 2008 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 मई, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रवर समिति, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

(मद संख्या–7 पुकारे जाने पर माननीय सभापति, लोक लेखा समिति ने समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून शहर के बीच चन्दर नगर स्थित चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) को शहर से बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में याचिका

***श्री गणेश जोशी–**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून शहर के बीच चन्दर नगर स्थित चीरघर (पोस्टमार्टम हाउस) को शहर के बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में" श्री राजकुमार कक्कड़ एवं अन्य निवासीगण, 112, चन्दर नगर, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद देहरादून के डांडीपुर क्षेत्र (गुरूद्वारा, मस्जिद के नजदीक एवं आनन्द चौक के कुछ क्षेत्र) में विगत कुछ वर्षों से पानी की समस्या के सम्बन्ध में याचिका

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद देहरादून के डांडीपुर क्षेत्र (गुरूद्वारा, मस्जिद के नजदीक एवं आनन्द चौक के कुछ क्षेत्र) में विगत कुछ वर्षों से पानी की समस्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में'' श्री राजकुमार कक्कड़ एवं अन्य निवासीगण, 112, चन्दर नगर, जनपद–देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह रावत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 29–07–2008 की बैठक में दिनांक 30–07–2008 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>जुलाई, 2008</u>

30 बुधवार	1–औपचारिक कार्य।
	2–उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2008 पर गठित प्रवर समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–310 की सूचनाएं नियम–58 में परिवर्तित

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिन्हें नियम–58 में परिवर्तित किया गया था। इसमें पहली सूचना श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़, श्रीमती अमृता रावत, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल। दूसरी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री किशोर उपाध्याय। तीसरी सूचना श्री केदार सिंह रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन मेहरा। चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत,

श्री कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''। पाँचवीं सूचना श्री किशोर उपाध्याय, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री प्रीतम सिंह। छठी सूचना श्री बलवीर सिंह नेगी। सातवीं सूचना मौ0 शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, हाजी तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा आठवीं सूचना श्री नारायण पाल की प्राप्त हुई है। जिनमें से पहली सूचना श्री दिनेश अग्रवाल तथा मौ0 शहजाद एवं अन्य, दूसरी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला एवं अन्य, तीसरी सूचना श्री केदार सिंह रावत एवं अन्य तथा चौथी सूचना डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य की सूचनाएं कानून व्यवस्था से सम्बन्धित हैं, जिनको ग्राह्यता पर मैं सुन रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल की सूचना दलित लड़की कुमारी सुलेखा, पुत्री श्री महिपाल, निवासी प्रेमनगर, बाल्मीकी बस्ती, देहरादून के साथ लगभग दो माह पूर्व सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर भाजपा नेताओं द्वारा राजपुर रिसोर्ट में सामूहिक बलात्कार किया गया, से सम्बन्धित है।

(श्री दिनेश अग्रवाल जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय जोत सिंह गुनसोला जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान मे मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय केदार सिंह रावत जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

चौथी सूचना हरिद्वार जनपद के लक्सर कस्बे में राजस्थान के गूर्जर आन्दोलन के समर्थन के सम्बन्ध में है। यह सूचना डा0 हरक सिंह रावत जी की भी है। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)--

मान्यवर, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। हमारे सारे विधायकों की सूचनाएं लगी हुई हैं। इन सभी सूचनाओं पर हमें सुना जाय। सारे नियमों का निलम्बन करके हमारे सारे विधायकों की सूचना को स्वीकार करें। ऐसा मैंने आपसे निवेदन किया था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना दिनांक 07 जून, 2008 को जनपद हरिद्वार के लक्सर कस्बे में राजस्थान के गूर्जर आन्दोन के समर्थन के सम्बन्ध में है। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं ? (घोर व्यवधान के मध्य)

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय सदस्यों का नाम पुकार रहा हूँ, परन्तु कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ। माननीय डा0 हरक सिंह रावत जी, क्या आप अपनी सूचना पर कुछ कहना चाहते हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या आप इसे स्वीकार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात कहिए, तभी मैं आगे बढ़ूँगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय रणजीत सिंह रावत जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय रणजीत सिंह रावत जी, आप अपने स्थान पर जाकर अपनी बात कह सकते हैं।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाऐं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन की प्राप्त हुई है, जो 60, पन्तनगर, गदरपुर, विधान सभा क्षेत्र में आवासीय कालोनी बनाने वाले कालोनाईजर द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रेमानन्द महाजन जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना हाजी तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की प्राप्त हुई है, जो शिक्षा विभाग में हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं नियम विरूद्ध किये गये ट्रान्सफर/पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध्ध में है।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा श्री सुरेन्द्र राकेश जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य पूर्ववत् 'वेल' में नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री नारायण पाल की प्राप्त हुई है, जो सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) के सिडकुल में भूमि खरीदने के बाद भी लीज डीड के 230 मामले विगत वर्ष से लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। कुल तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री नारायण पाल की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गई।

श्री नारायण पाल जी, मैं आपकी नियम–58 की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री नारायण पाल द्वारा समाचार–पत्र लहराया गया।)

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–58 के अन्तर्गत सितारगंज के सिडकुल में भूमि खरीदने के बाद भी लीज डीड के मामले लम्बित रहने के सम्बन्ध में जो सूचना दी है, उसकी ग्राह्यता पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अपनी बात कहें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत नारे लगाते रहे।)

पुस्तकालय बुक सं0 1052

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, नियम–310 की सूचना अस्वीकृत हो चुकी है, उस पर विनिश्चय आ चुका है। नियम–58 की सूचना पर यदि कुछ कहना चाहते हों तो कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री गोपाल सिंह रावत की जनपद उत्तरकाशी में राज्य प्राप्ति आन्दोलनकारियों को आन्दोलनकारियों की सूची में सूचीबद्ध न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी, हाजी तस्लीम अहमद की सूचना आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेन्शन विद्युत लाइन को परिवर्तित कराने व ग्राम सुल्तानपुर के पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में है। तीसरी, श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के कटाव होने के कारण बर्बाद होने से किसानों एवं प्रदेश को खाद्यान्न (उपज) कम होने के सम्बन्ध में है। मैं इन तीनों सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के तहत जिस सूचना के आधार पर सदन में चर्चा कराये जाने की माँग माननीय सदस्यगण कर रहे हैं, उसे ग्राह्यता पर सुनने का विनिश्चय आपके द्वारा किया गया है। उसके बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यगण सदन चलाने नहीं देना चाहते हैं। श्रीमन्, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है।

सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्रगान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तब शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तब जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 12 बजकर 37 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक : 30 जुलाई, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

विधान सभा पुस्तकालय बुक नं. 1052 देहरादून

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 विधान सभा/468–28–01–2012–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।